“पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तिमाही- 4 वित्तीय वर्ष-16 अर्निंग कांफ्रेंस कॉल”

25 मई, 2016

प्रबंधन : श्री एम.के.गोयल – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
श्री आर. नागराजन – निदेशक, वित्त, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
श्री ए.के.अग्रवाल – निदेशक, परियोजना, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
श्री डी.रवि – निदेशक, वाणिज्यिक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मॉडरेटर: श्रीआदित्यशर्मा– आईआईएफएल कैपिटल लिमिटेड

मॉडरेटर: देवियों और सज्ज्नो, नमस्कार, आईआईएफएल कैपिटल लिमिटेड द्वारा आयोजित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तिमाही-4 वित्तीय वर्ष- 2016 की अर्निंग कांफ्रेंस कॉल में आप सभी का स्वागत है। अनुस्मारक के तौर पर सभी प्रतिभागियों की लाइनें केवल लिसेन-ओनली मोड में रहेंगी, प्रेजेंटेशन के समापन के पश्चात आप सभी को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। यदि कांफ्रेस कॉल के दौरान आपको किसी सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपने टच टोन फोन पर पहले '*' और फिर '0' दबाकर ऑपरेटर को संकेत करें। कृपया नोट करें कि इस कांफ्रेस की कार्रवाई को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब मैं इस कांफ्रेस के संचालन का दायित्व आईआईएफएल कैपिटल लिमिटेड के श्री आदित्य शर्मा को सौंपना चाहूंगा। धन्यवाद, कृपया आगे की कार्रवाई श्री शर्मा संचालित करें।

आदित्य शर्मा : हाय! सभी को नमस्कार। हमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस तिमाही के लिए कांफ्रेस कॉल आयोजित करने में प्रसन्नता हो रही है। आज हमारे बीच श्री एम.के.गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड; श्री आर नागराजन, निदेशक (वित्त) ; श्री ए के अग्रवाल,निदेशक (परियोजना) और श्री डी.रवि, निदेशक (वाणिज्यिक) उपलब्ध हैं, जो हमें कंपनी के परिणामों से अवगत करायेंगे। वे अपने वित्तीय निष्पादन के बारे में एक सिंहावलोकन से शुभारंभ करेंगे और विद्युत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति के

बारे में भी कुछ टिप्पणियां करेंगे और इसके पश्चात हम इस सदन को प्रश्नोत्तर सत्र के लिए खुला छोड़ देंगे। कृपया आगे की कार्रवाई संचालित करें।

एम.के.गोयल : सभी को नमस्कार। मैं एम.के.गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मेरे साथ मेरे सहकर्मी श्री आर नागराजन, निदेशक (वित्त); श्री ए के अग्रवाल, निदेशक (परियोजना) और श्री डी.रवि, निदेशक (वाणिज्यिक) उपलब्ध हैं

मैं हमारी कंपनी के वित्तीय वर्ष 2016 के वार्षिक परिणामों के विश्लेषण हेतु आयोजित इस कांफ्रेंस कॉल में आप सभी का स्वागत करता हूं।

सबसे पहले मैं तिमाही- 4 और वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान हमारे वित्तीय निष्पादन के बारे में चर्चा करूंगा और फिर आप सभी को विद्युत क्षेत्र में हुए विकास से अवगत कराऊंगा। इस क्षेत्र की चुनौतियों और विद्युत क्षेत्र में तनाव के बावजूद भी हमने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बेहतर मार्जिन के साथ उत्कृष्ट परिसंपत्ति वृद्धि दर्शाई है। हमारी ऋण परिसंपत्तियों में 9% की बेहतर वृद्धि दर्शाई गई है, जो 2,17,000 करोड़ रूपए (अनुमानित) से बढ़कर 2,37,500 करोड़ रूपए (अनुमानित) हो गई है। हम 2,17,000 करोड़ रूपए के बड़े परिसंपत्ति आधार पर इस परिसंपत्ति वृद्धि को बनाए रखने में सफल रहे हैं और यूडीएवाई बांड के खाते में वर्ष के दौरान प्राप्त 4,500 करोड़ रूपए के

पूर्व भुगतान के साथ विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों के बावजूद भी हमने यह सफलता अर्जित की है। हम वित्तीय वर्ष 2016 के लिए 3.42% के बेहतर स्तर पर ब्याज विस्तार और 4.94% का एनआईएम बनाए रखने में भी सफल रहे हैं।

जहां तक अन्य वित्तीय मानकों का संबंध है, तो वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान हमारी कुल आय में 11% की वृद्धि हुई है, जो 24,908 करोड़ रूपए से बढ़कर 27,564 करोड़ रूपए हो गई है। इसी प्रकार हमारी ब्याज से होने वाली आय में में 13% की वृद्धि हुई है, जो 9,872 करोड़ रूपए से बढ़कर 11,168 करोड़ रूपए हो गई है। हमारा लाभ 3% की वृद्धि के साथ 5959 करोड़ रूपए से बढ़कर 6,113 करोड़ रूपए हो गया है। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान हमने 7.85% की मामूली लागत पर लगभग 64,000 करोड़ रूपए की राशि अर्जित की है, जिसके फलस्वरूप हमारी निधियों की औसत लागत 8.99% से घटकर 8.62% हो गई है। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान हमारा लाभ स्थिर रहा और तिमाही-4 वित्तीय वष 2016 के दौरान हमारे लाभ में 19% की कमी दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की संसंगत तिमाही में 1,561 करोड़ रूपए से घटकर 1,260 करोड़ रूपए हो गया। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान हमारा लाभ स्थिर क्यों रहा और तिमाही-4 के दौरान इसमें गिरावट क्यों आई, इसके लिए एनपीए के मद में उच्चतर प्रावधान और पुनगर्ठित परिसंपत्तियों में वृद्धि उत्तरदायी है। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान कुल 1610 करोड़ रूपए के प्रावधान किए गए, जिसमें से

तिमाही-4, वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ही कुल 537 करोड़ रूपए के प्रावधान किए गए हैं।

जहां तक एनपीए का संबंध है, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 6 नई एनपीए जोड़ी गई हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान सकल एनपीए 7,519 करोड़ रूपए रही, जो हमारी ऋण परिसंपत्तियों के 3.15% के बराबर हैं; निबल एनपीए 6,061 करोड़ रूपए रहीं, जो हमारी ऋण परिसंपत्तियों के 2.55% के बराबर हैं। कुल एनपीए में से, 3 ऋण,जो हमारी एनपीए के 25% के समतुल्य हैं, की स्थापना की गई है और उनके समक्ष गैस की उपलब्धता जैसी बड़ी समस्याएं, टैरिफ से जुड़ी समस्याएं मौजूद हैं और 2 ऋण, जो हमारी एनपीए के 36% के समतुल्य हैं, की स्थापना वित्तीय वर्ष 2016 की बकाया अवधि के दौरान ही की जानी है और हमारी एनपीए का शेष 39% निर्माणाधीन है तथा कुछ एनपीए में प्रमोटरों द्वारा निधियों का निवेश किए जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि लगभग दो वर्ष में भारत सरकार की पहलों के द्वारा और इक्विटी को लेकर समझौतों से नीतिगत मुद्दों का समाधान होने पर मौजूदा एनपीए में सुधार हो सकता है।

जहां तक पुनगर्ठित परिसंपत्तियों का संबंध है, तो मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ये 32,260 करोड़ रूपए हैं, जिसमें से 17,900 करोड़ रूपए (अर्थात कुल पुनगर्ठित परिसंपत्तियों के 56% के समतुल्य) की स्थापना पहले ही की जा चुकी है, जिसमें से 11,550 करोड़ रूपए की

परिसंपत्तियों को चालू वित्त वर्ष 2016-17 में मानक परिसंपत्तियों के रूप में उन्नत किए जाने की संभावना है और बकाया परिसंपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में मानक परिसंपत्तियों के रूप में उन्नत बनाए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा 12400 करोड़ रूपए की परिसंपत्तियों की स्थापना चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में किए जाने की उम्मीद है, जिसमें से 1,045 करोड़ रूपए की एक परियोजना वित्तीय वर्ष 2016-17 में पहले ही स्थापित की जा चुकी है और केवल एक ही परियोजना ऐसी है, जिसके अगले वित्तीय वर्ष में जाने की संभावना है। 1,900 करोड़ रूपए मूल्य की पुनर्गठित परिसंपत्तियों की स्थापना 2017-18 में होने की आशा है। निजी क्षेत्र के केवल दो ही खाते हैं, जिनका सीओडी के पश्चात पुनर्गठन किया गया था, जिनकी राशि केवल 1,243 करोड़ रूपए है और जो पुनर्गठित बही के 4% के समतुल्य है।

जहां तक व्यापारिक निष्पादन का संबंध है, हमने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान 55,000 करोड़ रूपए के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 65,000 करोड़ रूपए के ऋण स्वीकृत किए हैं और तिमाही-4 में हमारी स्वीकृतियों में 70% की वृद्धि हुई है और यह 13,150 करोड़ रूपए से बढ़कर 22,400 करोड़ रूपए हो गई हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान स्वीकृतियों में 7% की वृद्धि हुई है, जो 60,800 करोड़ रूपए से बढ़कर 65,000 करोड़ रूपए हो गया है। जहां तक संवितरण का संबंध है, हमने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान 44,440 करोड़ रूपए के निर्धारित लक्ष्य

की तुलना में 46,600 करोड़ रूपए का संवितरण किया है जबकि वित्तीय वर्ष 2015 में संगत अवधि के दौरान हमने 44,690 करोड़ रूपए का ही संवितरण किया था। बकाया ऋण स्वीकृतियां 1.37लाख करोड़ रूपए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान किए गए संवितरण की तुलना में 3 गुना है। यह हमारे सुदृढ़ व्यापार पाईपलाइन को दर्शाता है, जो निरंतर आगे बढ़ रही है।

भारत सरकार की आईपीडीएस, सभी के लिए 24X7 विद्युत की उपलब्धता, जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर और यूएमपीपी जैसी पहलों को तेजी से लागू किए जाने के फलस्वरूप हमें और अधिक व्यापारिक अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा सरकार की अन्य कई पहलें भी लागू की जा रही हैं, जिनके चलते हमारे व्यापार की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिसकी व्याख्या मैं थोड़ी देर में करूंगा।

जहां तक संसाधन जुटाने का संबंध है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान 7.85% की मामूली लागत पर लगभग 64,000 करोड़ रूपए की धनराशि जुटाई है, हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक की क्रमश: 15% और 10% की टीयर-1 पूंजी आवश्यकता की तुलना में 17.07% टीयर-1 पूंजी के साथ 20.27% है, जो कि एक बेहतर स्थिति को इंगित करता है।

जहां तक अन्य व्यापारिक विकास का संबंध है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कायाकल्प के लिए यूडीएवाई नाम से एक योजना नवंबर 2015 में अधिसूचित की गई थी, जिसका उद्देश्य 2018-19 तक एटी और सी हानियों को 15% तक कम करना; वर्ष 2018-19 तक एआरआर और एसीएस के बीच के अंतर को शून्य करना और वर्ष 2017-18 तक लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों को लाभप्रद बनाना है। बचे हुए 3-4 डिस्कॉम का कायाकल्प वर्ष 2018-19 तक किए जाने की आशा है।

जहां तक यूडीएवाई की प्रगति का संबंध है, 10 राज्यों ने पहले ही समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, जिनके परिणामस्वरूप इन राज्यों में समेकित रूप से 1 लाख करोड़ रूपए की एकीकृत बचत होने की उम्मीद है। इसके अलावा 8 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने यूडीएवाई में शामिल होने के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है तथा शेष 12 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों को अभी यूडीएवाई में शामिल होना है। यूडीएवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 1.1 लाख करोड़ रूपए मूल्य के बांड जारी किए गए, जिसमें 99,500 करोड़ रूपए के गैर-एसएलआर बांड और 11,500 करोड़ रूपए मूल्य के राज्य सरकार द्वारा गारंटित डिस्कॉम बांड शामिल हैं।

जहां तक पीएफसी पर यूडीएवाई के प्रभाव का संबंध है, यूडीएवाई के अंतर्गत पीएफसी द्वारा डिस्कॉम को दिया गया ऋण 49,800 करोड़ है,

जिसमें से 24,600 करोड़ रूपए का ऋण उन राज्यों को दिया गया है, जो पहले ही समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और 6800 करोड़ रूपए का ऋण ऐसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को दिया गया है, जिन्होंने यूडीएवाई में शामिल होने के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है और 18,400 करोड़ रूपए का ऋण ऐसे राज्यों/संघ राज्यों से संबंधित है, जिन्हें अभी यूडीएवाई में शामिल होना है।

जैसा आप सभी को ज्ञात है, यूडीएवाई के अनुसार पीएफसी के ऋण को गैर- एसएलआर बांड अथवा राज्य सरकार द्वारा गारंटित डिस्कॉम बांडों के रूप में परिवर्तित किया जाना है और ऐसे बांडों को पेंशन और बीमा कंपनियों सहित बाजार में प्रस्तावित किया जाना है, बकाया राशि,यदि कोई है, को बैंकों द्वारा डिस्कॉमों को अपने मौजूदा ऋणों के अनुपात में अधिग्रहीत किया जाएगा, इस प्रकार यूडीएवाई के कार्यान्वयन हेतु पीएफसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी ऋणों का पूर्व भुगतान किया जाएगा।

10 राज्यों के साथ यूडीएवाई समझौता ज्ञापनों में पीएफसी की 24600 करोड़ रूपयों की ऋण राशि शामिल है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान 4500 करोड़ रूपए का पूर्व भुगतान उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान डिस्कॉम के पुनर्भुगतान यूडीएवाई के कार्यान्वयन के अध्यधीन होंगे। यूडीएवाई के अंतर्गत डिस्कॉम के कायाकल्प का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र का

सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसके फलस्वरूप दीर्घावधि में पीएफसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार होगा। पीएफसी की 72% ऋण परिसंपत्तियां उत्पादन क्षेत्र के लिए हैं, डिस्कॉम की वित्तीय हालत में सुधार होने से उत्पादन क्षेत्र पर दबाब काफी हद तक घटने की उम्मीद है। तथापि पीएफसी ने यूडीएवाई के अंतर्गत पुनर्भुगतान की संभावना को ध्यान में रखते हुए नए व्यापारिक अवसरों और क्षेत्रों की पहचान की है और बाजार में अधिक हिस्सेदारी पर अपना कब्जा जमाने के लिए अपने उत्पाद प्रस्तावों को संशोधित किया है, जिससे कि अपनी व्यापारिक वृद्धि को निरंतर जारी रखने में यह सफल हो सके। इस दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निधियन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। अनुमान के अनुसार अगले 5 वर्षों में विद्युत क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रूपए के निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें से 8 लाख करोड़ रूपए का निवेश केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवश्यक है। भारत सरकार के मिशन के अनुसार 2022 तक नवीकरणीय क्षमता 175 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। पीएफसी ने पहले से ही 2250 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है और लगभग 1500 मेगावाट क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा आधारित व्यवसायिक प्रस्ताव कंपनी के पास उपलब्ध हैं। हम ऋण के पुनर्वित्तपोषण/स्थापित परियोजनाओं आदि के लिए आकर्षक निबंधन और शर्तों पर ऋण मुहैया करा रहे हैं,

तथापि यूडीएवाई के कारण पीएफसी को हो सकता है कि निकट भविष्य में निम्नतर ऋण वृद्धि का सामना करना पड़े ।

जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक की क्रेडिट कंस्ट्रेशन से जुड़ी शर्तों का संबंध है, आरबीआई ने 22 अप्रैल 2016 को सरकारी क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के मामले में भी सरकार द्वारा गारंटित ऋणों को छोड़कर अपनी क्रेडिट कंस्ट्रक्शन संबंधी शर्तों का अनुपालन करने के लिए निदेश जारी किए हैं। हमने आरबीआई से इस संबंध में छूट प्रदान करने के लिए पहले से ही पहल की है और विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे विद्युत क्षेत्र के विकास में पीएफसी को सौंपी गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस मामले को वित्त मंत्रालय और आरबीआई के सामने उठाए। हमें आशा है कि इसमें हमें सकारात्मक सफलता मिलेगी। आज की स्थिति के अनुसार हम आरबीआई की सीमा से परे सरकारी क्षेत्र का निधियन केवल ऐसे मामलों में कर रहे हैं, जहां ऋणों के लिए सरकारी गारंटी उपलब्ध है और जहां एक्सपोजर से जुड़े मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।

अब हमें क्षेत्रीय विकास के बारे में बात करनी चाहिए: जैसा आप सभी को ज्ञात है, सरकार ईंधन की समस्या और विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की कमजोर वित्तीय स्थिति सहित विद्युत क्षेत्र से जुड़े आधारभूत मुद्दों के समाधान हेतु कई उपाय कर रही हैं। मैं आप सभी के साथ इस क्षेत्र में किए गए सकारात्मक विकास और विद्युत क्षेत्र के

लिए भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं की अब तक की प्रगति से जुड़ी जानकारी साझा करूंगा। पिछले दो वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण क्षमता अभिवृद्धि हुई है। इसका अनुमानित आंकड़ा 46,500 मेगावाट है, जो पारंपरिक विद्युत क्षमता के 1/5th के समतुल्य है और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अब तक का सबसे कम ऊर्जा घाटा अर्थात 2.1% रहा है।

कोयला परिदृश्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है; पिछले दो वर्षों के लिए कोयला उत्पादन में 7.7% की औसत वृद्धि दर्शाई गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान 8.6% की वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान 6.9% की वृद्धि शामिल है। इसके फलस्वरूप आयातित कोयला पर निर्भरता घटी है, जिससे वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान 24000 करोड़ रूपए की बचत की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला ब्लॉक आबंटन रद्द किए जाने के पश्चात 31 कोयला ब्लॉकों के लिए ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 43 कोयला ब्लॉकों का आवंटन कर दिया गया है।

2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य अर्थात सौर ऊर्जा के लिए 100 गीगावाट और पवन ऊर्जा के लिए 60 गीगावाट निर्धारित किए गए हैं। 20,900 मेगावाट क्षमता वाली सौर परियोजनाओं के लिए पहले ही निविदा जारी की जा चुकी है और नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण के 38,000 करोड़ रूपए की लागत से

हरित ऊर्जा कॉरिडोर की परिकल्पना की गई है। 20 राज्यों में 33 सौर ऊर्जा पार्कों की परिकल्पना की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के लिए टैरिफ नीति में कई संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें मार्च 2022 तक 8% तक की सौर नवीकरणीय विद्युत बाध्यताएं शामिल हैं। नवीकरणीय विद्युत क्रय बाध्यता के अलावा नए थर्मल और लिग्नाइट प्लांटों पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की बाध्यता लागू की गई है। सौर और पवन ऊर्जा के लिए कोई भी अंतर्राज्य पारेषण प्रभार अथवा हानियों की उगाही नहीं की जाएगी।

सभी को समान रूप से विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक

.

"2019 तक सभी के लिए 24X7 विद्युत की उपलबधता" नामक योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 24X7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर सुधारों सहित विद्युत क्षेत्र का संपूर्ण विकास निहित है। इसके अंतर्गत उत्पादन, पारेषण, वितरण क्षमताओं की स्थापना, प्रचालनात्मक दक्षता और सुधारात्मक उपायों की परिकल्पना की गई है। 8.5 लाख करोड़ रूपए के योजनाबद्ध निवेश के साथ 21 राज्यों ने पीएफए दस्तावेजों में पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं, 6 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने पीएफए दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया है और 3 राज्य इन

योजनाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। टैरिफ नीति 2016 में संशोधन किए गए, जिनके अंतर्गत (i) सभी के लिए विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों/नियामक द्वारा पीएफए, सभी दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए माइक्रोग्रिड (ii) टैरिफ नीति के अंतर्गत मौजूदा पावर प्लांटों के विस्तार, स्मार्ट मीटर लगाने, ''टाइम ऑफ डे'' को समर्थ बनाने और ट्रांसमिशन लाइनों के सृजन एवं नेट मीटरिंग आदि से जुड़ी दक्षता संबंधी चिंताएं भी शामिल हैं, पर जोर दिया गया है। पर्यावरण की रक्षा के प्रयोजन से टैरिफ नीति के अंतर्गत 2022 तक 8% के आरपीओ, नवीकरणीय उत्पादन बाध्यताओं (आरजीओ), दीर्घकालिक पीटीए के माध्यम से जल विद्युत परियोजनाओं और 2022 तक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से छूट की भी परिकल्पना की गई है। व्यापार की सरलता के फलस्वरूप घरेलू शुल्कों, उद्ग्रहणों, उपकरों और करों में किसी भी छूट से परियोजना के लिए बोली लगाने में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और बहु राज्यों में बिक्री आदि के लिए टैरिफ निर्धारण प्राधिकारी के संबंध में भी स्पष्ट प्रावधान इसमें किए गए हैं।

''दीप'' शीर्षक के अंतर्गत पिछले महीने ई-बोली और ई-प्रत्यावर्ती नीलामी पोर्टल का पहले से ही शुभारंभ कर दिया गया है, जिसे दक्ष विद्युत मूल्य की खोज के रूप में माना गया है, जो विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत की खरीद में पारदर्शिता और समरूपता को बढ़ावा देता है, विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, विक्रेता से क्रेता के बीच विद्युत का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करता है, खरीद की लागत में काफी

हद तक कमी करता है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं का मिलता है। विद्युत की अल्पावधि क्रय के लिए दिशानिर्देश विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं। 01 अप्रैल 2016 से विद्युत की खरीद करने वाले सभी डिस्कॉमों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे इस ई-बोली प्रक्रिया पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अल्पावधि के लिए विद्युत की खरीद करेंगे और इस ई-बोली प्रक्रिया पोर्टल के आनेवाले समय में मध्यकालिक और दीर्घकालिक बोली प्रक्रिया के लिए भी विस्तार किए जाने की योजना है।

वितरण संबंधी सुधार के क्षेत्र में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) शुरू की गई है, जिसमें पूर्ववर्ती आर-एपीडीआरपी को आमेलित कर दिया गया है, जिसके लिए 65,424 करोड़ रूपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 56,295 करोड़ रूपए मूल्य की परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत कर दी गई हैं। यह शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने की एक योजना है। आईपीडीएस के अंतर्गत, लगभग 1 वर्ष में 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 3486 कस्बों के लिए 24838 करोड़ रूपए मूल्य की परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें आईपीडीएस के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के लगभग सभी कस्बों को शामिल कर लिया गया है। आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत शामिल कुल 1408 कस्बों में से 1222 कस्बों में पहले ही कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। 16 कस्बों ने रिपोर्ट दी है कि वहां 100% कस्बों में कार्यान्वयन

शुरू कर दिया गया है। 1094 ऐसे कस्बों, जहां कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है, में से 857 कस्बों में एटी और सी हानियों में 25% की कमी रिपोर्ट की गई हैं।

यूडीएवाई योजना: जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि यह विद्युत वितरण कंपनियों(डिस्कॉम) के कायाकल्प के लिए एक व्यापक योजना है और इसका कार्यान्वयन बड़ी तेजी से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैसा आप सभी जानते होंगे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 18,500 गांवों का विद्युतीकरणकियाजाना है और लगभग 7100 से अधिक गांवों का पहले से ही विद्युतीकरण किया जा चुका है और इन सभी गांवों का मार्च 2018 तक विद्युतीकरण किए जाने की योजना है।

इसलिए सरकार ऐसी पहलें शुरू करने के साथ विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। मैंने तो केवल इनकी जानकारी दी है। मुझे आशा है कि विद्युत क्षेत्र और पीएफसी के अच्छे दिन आने वाले हैं और आगे मुझे विद्युत क्षेत्र का पुनरूद्धार दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।

अब प्रश्नोत्तर सत्र शुरू किया जा सकता है।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अब हम प्रश्नोत्तर सत्र प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न एडेलविज सेक्युरिटीज के कुणाल शाह की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

कुणाल शाह: सबसे पहले जीएनपीएल और हमारे द्वारा प्रकाशित पुनर्अनुसूचन के संदर्भ में, क्या आप ऐसी परिसंपत्तियों की जानकारी देंगे, जिन्हें एनपीएल के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिससे जीएनपीएल की संख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई है?

एम.के.गोयल: ऐसी 6 नई एनपीए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान जोड़ी गई हैं, जिनमें लगभग 5,000 करोड़ रूपए की कुल राशि निहित है।

कुणाल शाह: जब हम पिछली तिमाही पर भी नजर डालते हैं, तो हम पाते हैं कि वहां एक एसआर थी?

एम.के.गोयल: जी हां, पिछली तिमाही के दौरान तीन एनपीए थीं, जिनकी राशि 2748 करोड़ रूपए थी।

कुणाल शाह: इस प्रकार से ये परिसंपत्तियां पुनगर्ठित, पुनः अनुसूचित परिसंपत्तियों में पहले से ही शामिल थीं, अथवा क्या ये नएखाते हैं, जो वहां दर्शाए गए हैं?

एम.के.गोयल: जी हां, ये सभी पुनगर्ठित परिसंपत्तियों में शामिल थीं।

कुणाल शाह: क्योंकि जब मैं मार्च और दिसंबर के बीच आरआर की संख्या पर नजर डालता हूं, तो यह लगभग 21,000 है। जबकि पिछली बार यह 21,900

थी, इस बार यह 31,500 है। इस प्रकार इसमें और वृद्धि हुई है, जो हो सकता है कि इसके आरआर से आगे बढ़ने के पश्चात ही हुआ है?

एम.के.गोयल: जी हां, मुझे लगता है कि हमने इस बात का उल्लेख किया है, अतिरिक्त पुनगर्ठित परिसंपत्तियां भी इसमें शामिल हैं।

कुणाल शाह: इस प्रकार से आज जब आप आरआर में 21,500 पर नजर डालें, तो एनपीएल के अंतर्गत 7,500 है, इस प्रकार निजी क्षेत्र के 38,000 करोड़ में से 29,000 करोड़ रूपए का आंकड़ा परेशान करने वाला है। इसके लिए आपकी निगरानी सूची क्या है, हो सकता है कि यदि आप इस आरआर में से कुछ धनराशि देते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि कितनी परिसंपत्तियां एनपीएल में परिवर्तित हो जाएंगी अथवा कितनी बकाया रहेंगी ...?

एम.के.गोयल: इन आरआरआर पुनर्गठित परिसंपत्तियों के अंतर्गत 18,000 करोड़ रूपए मूल्य की परिसंपत्तियां, जो 32,260 करोड़ रूपए की कुल पुनर्गठित परिसंपत्तियों के 56% के समतुल्य हैं, शामिल हैं। 11,550 करोड़ रूपए मूल्य की परिसंपत्तियों को चालू वित्तीय वर्ष में मानक परिसंपत्ति के रूप में उन्नत कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी स्थापना पहले ही की जा चुकी है और 2 वर्ष का समय बीतने वाला है। इसलिए उन्हें स्वत: ही मानक परिसंपत्तियों के रूप में उन्नत कर दिया जाएगा और बकाया परिसंपत्तियों को 2017-18 में उन्नत किया जाएगा। इस प्रकार कुल 32,000 करोड़ रूपए में से 18,000 करोड़ रूपए की परिसंपत्तियों को

आंशिक रूप से इस वर्ष और आंशिक रूप से अगले वर्ष उन्नत किया जाएगा और इसके अलावा 12,400 करोड़ रूपए की परिसंपत्तियों के वर्ष 2016-17 में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। इस प्रकार स्थापना के पश्चात उन्हें या तो वर्ष 2016-17 में ही अथवा 2017-18 में मानक परिसंपत्तियों के रूप में उन्नत किए जाने की आशा है। अनुमानतः 18,000 करोड़ रूपए मूल्य की परिसंपत्तियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं और वर्ष 2016-17 में 12,500 करोड़ रूपए मूल्य की परिसंपत्तियां स्थापित की जाएंगी। इस प्रकार से ये पुनर्गठित परिसंपत्तियां प्रायः उनमें से ही संबंधित हैं। इसका आशय यह है कि 56% और 90% से अधिक स्वतः ही उन्नत हो जाएंगी, क्योंकि वे या तो स्थापित हो गई हैं अथवा स्थापित होने वाली हैं। इसलिए ये अस्थायी संक्रिया है।

कुणाल शाह: 4,500-5,000 करोड़ रूपए अभी भी हो सकती हैं, जिनका..........क्या होगा?

एम.के.गोयल: 1,900 करोड़ रूपए, जिसकी वर्ष 2017-18 में स्थापित होने की उम्मीद है और निजी क्षेत्र के केवल दो ही ऐसे खाते हैं, जिनका सीओडी के पश्चात पुनर्गठन किया गया है, जिनकी राशि केवल 1243 करोड़ रूपए है।

कुणाल शाह: मानक संपत्ति प्रावधान पर रूढ़िवादी विचारधारा को प्रत्यावर्तित करने के क्या कारण रहे हैं, जो हमने नियमित मानक परिसंपत्तियों दोनों के मामले में लागू किए हैं?

आर.नागराजन: ऐसा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रावधान शर्तों का अनुपालन करने के प्रयोजन से किया गया है।

कुणाल शाह: पिछली बार हमने वास्तविक रूप से अपेक्षाकृत अधिक रूढ़िवादी प्रावधान किए हैं, जो किसी भी रूप में बेहतर थे और इस वित्त वर्ष की समाप्ति पर एक बार फिर हमने इन्हें प्रत्यावर्तित किया है, क्यों ?

एम.के.गोयल: यह ठीक है, परंतु हम इसका कड़ाई से अनुपालन करना चाहते थे। हम अगले वर्ष उस समय ऐसा करेंगे, जब यह प्रावधान किया जाएगा।

आर.नागराजन: इस वर्ष हम 4.25% का प्रावधान करेंगे और 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार इसे 0.35% और मार्च 18 की स्थिति के अनुसार 0.40% पर उस 5% का अनुपालन करेंगे।

कुणाल शाह: बकाया स्वीकृतियों का क्या हुआ है, हो सकता है कि इनकी संख्या 20,000 करोड़ रूपए तक तुलनात्मक रूप से कम हो?

आर.नागराजन: 1,36,000 करोड़ रूपए।

कुणाल शाह: पिछली बार यह 1,56,000 करोड़ रूपए थी। इस प्रकार जब मैं ऐसे दस्तावेजों, जो विशेष रूप से उत्पादन क्षेत्र की ओर से निष्पादित नहीं

किए गए हैं, जो 48,000 करोड़ रूपए के रूप में थे, पर नजर डालता हूं, जो तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 28,000 करोड़ रूपए तक घट गया है, तो इसका क्या कारण रहा कि इसे बकाया स्वीकृतियों में से पूरी तरह से हटा दिया गया है ?

एम.के.गोयल: कुछ ऋणकर्ता अपना ऋण रद्द करा देते हैं अथवा जहां दो वर्ष बीत जाते हैं, तो हम उनका मूल्यांकन करते हैं और केवल दो वर्ष की अवधि के लिए ही ऋण स्वीकृत करते हैं,इसलिए उन मामलों, जहां उनका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाना है, में हमने उन ऋणकर्ताओं के ऋणों को पहले ही रद्द कर दिया है, इसलिए यह 1,56,000 करोड़ रूपए से घटकर 1,36,000 करोड़ रूपए हो गया है।

कुणाल शाह: यूडीएवाई बांड के संदर्भ में 4,500 करोड़ रूपए स्वीकृत कियागया है,परंतु बकाया राशि स्वीकृत करते समय इस संबंध में क्या अपेक्षाएं हैं- यह इस तिमाही के अंत पर निर्भर करेगा, अथवा क्या सब कुछ इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही घटित होगा?

एम.के.गोयल: हम नहीं जानते हैं, स्पष्टतया इस तिमाही के अंत तक, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकारों द्वारा कितने बांड जारी किए जा रहे हैं, मुख्यतया यह इस बात पर निर्भर करता है कि जब वे कार्रवाई करते हैं और वे आरबीआई से परमिशन लेंगे और जब वे ऐसा करेंगे तो इसके बाद ही ऐसा किया जाएगा। हमें उम्मीद नहीं है कि चालू

तिमाही में यूडीएवाई के अंतर्गत ऋणों के संबंध में महत्वपूर्ण भुगतान किए जाएंगे।

कुणाल शाह: ऐसी स्थिति में पंजाब और उत्तर प्रदेश का क्या होगा, जहां हमारे पास 9,200 करोड़ रूपए का ऑड आंकड़ा है, जिसमें से 50% पूरी तरह से ....है?

आर.नागराजन: कुणाल, यह तथ्य नहीं है कि सीधे-सीधे हमारे 50% ऋण का भुगतान किया जाएगा, योजना के अनुसार उन्हें यह देखना है कि कहां उन्हें अधिकतम ब्याज दर पर भुगतान करना पड़ रहा है, इस आधार पर वे 31 मार्च से पहले 50% ऋण का परिसमापन करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी खाता बहियों पर नजर डाली होगी कि किनकी लागत अधिक है और उन्होंने उनका पुनर्भुगतान कर दिया होगा। यदि कोई ऋण अपेक्षाकृत अधिक लागत वाला रहा होगा, तो उन्होंने उसे चुका दिया होगा। इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि पीएफसी के 50% ऋण का भुगतान कर दिया जाता है अथवा नहीं। यह राज्य विद्युत बोर्डों की खाता बहियों में दिया रहता है कि बकाया ऋण कितना है, उसी आधार पर वे उनका भुगतान करेंगे, अधिक लागत वाले 50% ऋण का भुगतान कर दिया जाएगा। इसलिए आप संख्याओं का मिलान नहीं कर सकते हैं और न ही ये कह सकते हैं कि आपकी बकाया राशि इतनी है और इसके 50% की गणना नहीं हो रही है। यह वितरण कंपनी की खाता बही में बकाया ऋण की लागत पर आधारित होता है।

कुणाल शाह: इसलिए हो सकता है कि विभिन्न राज्यों को संधिकालिक वित्तपोषण के रूप में 32,000 करोड़ रूपए के ऋण के संदर्भ में पिछली बार आपने जो भी प्रकटन किए थे, तो उनके संबंध में भी यह जरूरी नहीं है कि वे ठीक 50% ....रहे हों ?

आर.नागराजन: जी हां, यह आवश्यक नहीं है कि उन्होंने 50% का भुगतान कर दिया होगा।

कुणाल शाह: अन्य आय के संदर्भ में, यह आय कहां से हो रही है, जो इस विशेष तिमाही में लगभग 120 करोड़ रूपए दर्शायी गई है?

आर.नागराजन: मेरा मानना है कि उनमें से एक कोल इंडिया से प्राप्त लाभांश है, इसके अलावा कुछ निवेश पर ब्याज से होने वाली आय है। लाभांश के रूप में 90करोड़ रूपए, बांड की बिक्री से होने वाला लाभ 9 करोड़ रूपए आयकर रिफंड पर ब्याज 9करोड़ रूपए, आईपीवीएस के अंतर्गत नोडल एजेंसी के शुल्क के रूप में 34 करोड़रूपए की आय इसमें शामिल है।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न एचएसबीसी ग्लेबल ऐसेट मैनेजमेंट के श्री नीलांग मेहता की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

नीलांग मेहता: मैं केवल कुछ माह पहले खबरों में आने वाले ऐसे समाचार और लेखों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं, जो आपकी कंपनी और आरईसी दोनों के लिए यूडीएवाई बांडों से होने वाली आय के इस्तेमाल से जुड़े हैं, जिनमें यह कहा गया है कि आप लोग सार्वजनिक क्षेत्र के

बैंकों के टीयर-2, टीयर-3 बांडों में निवेश करना चाहते थे। महोदय, क्या आप इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देंगे कि वे किस प्रकार के निवेश थे ...?

आर.नागराजन: इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भी धनराशि हमें प्राप्त होती है, उसे बैंकों के टीयर-I अथवा टीयर-II बांडों में लगाया जाएगा। इसलिए उनके द्वारा यूडीएवाई बांडों के पूर्व भुगतान और बैंकों के टीयर-I और टीयर-II बांडों में निवेश के बीच कोई संबंध नहीं है।

नीलांग मेहता: इस प्रकार से क्या आप बैंकों के टीयर-II बांडों में स्वतंत्र रूप से निवेश करना चाहते हैं?

आर.नागराजन: आज की स्थिति के अनुसार, नहीं।

नीलांग मेहता: परंतु हमने स्टॉक एक्सचेंज के कुछ नोटिस अथवा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किए गए प्रकटनों को देखा है, जो ये दर्शाते हैं कि बैंक इस दिशा में आगे आए हैं और उन्होंने यह बताया है कि आरईसी तथा पीएफसी दोनों ने ही टीयर-1 बांडों में निवेश किया है।

आर.नागराजन: 31 मार्च की स्थिति के अनुसार हमने दो बैंकों में निवेश किया है, इसका प्रकटन स्टॉक एक्सचेंज में भी किया गया है; हमने 1,000 करोड़ रूपए का निवेश देना बैंक में और फिर 800 करोड़ रूपए का निवेश आंध्रा बैंक में किया है।

नीलांग मेहता: महोदय, इसका क्या औचित्य है, क्योंकि मैं यह नहीं सोचता हूं कि यह आरईसी, पीएफसी अथवा विशेष रूप से पीएफसी के लिए कोई एक अधिदेश है ...?

आर. नागराजन: यह परिसंपत्ति आधार में सुधार करने के लिए निवेश का एक नया अवसर है और कुछ नहीं।

नीलांग मेहता: एक ओर हम यह कह रहे हैं कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र में ऋण देने के अवसर हैं?

आर.नागराजन: परंतु आपको किसी विशेष वित्तीय वर्ष में देखना होगा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि पिछले वर्ष हमारे पास अवसर था, अथवा इस वर्ष हमारे पास अवसर है, हम 31 मार्च के बारे में बात कर रहे हैं ....

नीलांग मेहता: जी, नहीं। मेरा मानना है कि यह बहुत ही गलत निगमि शासन परंपरा है, जिसे लागू किया जा रहा है, जहां इनमें निवेश करना कंपनी का तब तक अधिदेश नहीं होता है, जब तक कि यह धन संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जाए, अन्यथा यह अलग बात है, परंतु दीर्घकालिक आधार पर टीयर-II, टीयर-III बांडों की खरीद ऐसी चीज नहीं है, जिसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को करना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को अवगत कराते हुए इसे रिकॉर्ड करना चाहूंगा कि यह कोई ऐसा कार्य नहीं है, जिसकी निवेशक के रूप में हम सराहना करते हैं।

आर.नागराजन: ठीक है।

नीलांग मेहता: अन्य प्रश्न यह है कि जैसा कि आपने कहा है कुल 49,000 करोड़ रूपए को ध्यान में रखते हुए आपकी व्यापारिक योजना क्या है, क्या यह बांड ऋण है, जिसे आगे आने वाले समय में यूडीएवाई बांडों के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उच्च यील्ड वाले ऋणों को आप जैसे लागों के लिए निम्न यील्ड वाले बांडों के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा, अथवा आपको बड़े पैमाने पर नकदी प्राप्त होगी, इसलिए आप इस नकदी को नियोजित करने की क्या योजना बना रहे हैं?

एम.के.गोयल: एक बात तो यह है कि ऐसी उम्मीद नहीं है कि पूरे 49,000 करोड़ रूपए में से बकाया 45,000 करोड़ रूपए का पुनर्भुगतान चालू वर्ष के दौरान एक ही बार में कर दिया जाएगा, यहां तक कि पिछले वर्ष भी हम यह उम्मीद कर रहे थे कि । 49,000 करोड़ रूपए में से मार्च 2016 तक लगभग 50% का पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा, परंतु वास्तविक रूप से केवल 4,500 करोड़ रूपए ही प्राप्त हुए थे। इसलिए हमें अभी भी यह देखना है कि यूडीएवाई बांड के खाते में राज्यों द्वारा वास्तविक रूप से कितना भुगतान किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमने पहले ही एक आकस्मिक योजना बना ली है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही अवगत कराया है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक जोर दे रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक जोर देने के लिए हमने अपनी ऋण

के पुन: वित्त पोषण की योजना में सुधार किया है। हमने ऋण के पुन: वित्तपोषण के लिए अपनी शर्तों की समीक्षा की है और हम सभी अन्य अवसरों पर भी नजर बनाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस यूडीएवाई योजना के पश्चात डिस्कॉम तनावमुक्त होंगे, मौजूदा उत्पादन क्षेत्र में भी अपेक्षाकृत अधिक अवसर मिलेंगे, जहां वर्तमान में हम अधिक वित्तपोषण करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि अभी तनाव दबाव वितरण क्षेत्र पर है। डिस्कॉम का दबाव जेनको की ओर है, इसलिए वहां अधिक मामले बनेंगे। एक बोली प्रक्रिया लागू की जा रही है और बिजली की बिक्री भी की जाएगी, ऐसी स्थिति में विद्युत की अधिक आवश्यकता होगी, नई क्षमता स्थापित की जाएगी, ऐसी परियोजनाएं, जो मानक स्तर पर हैं, वे मुख्य धारा में शामिल होंगी और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 21 राज्यों में विद्युत के लिए सभी दस्तावेजों पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिनमें 8.5 लाख करोड़ रूपए के निवेश की कल्पना की गई है। इसलिए यहां तक कि यदि इस बड़ी राशि का छोटा सा भाग भी हमें मिलता है, तो वह हमारे लिए पर्याप्त होगा , भले ही यूडीएवाई बांडों के विरूद्ध पुनर्भुगतान के रूप में हमें कितनी ही राशि क्यों न मिले। इसलिए हमें इसमें कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। यही बात आपलोग उस समय भी सोच रहे थे, जब यूडीएवाई योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके कारण आपलोग हमेशा से पीएफसी के स्टॉक का मूल्यांकन करते रहे

हैं, परंतु दिन के अंत में इसके विपरीत 49000 करोड़ रूपए की तुलना में केवल 4500 करोड़ रूपए ही वास्तविक रूप से प्राप्त हुए।

नीलांग मेहता: यदि यूडीएवाई को सफल बनाना है, जैसा कि विद्युत मंत्री हर मोर्चे पर कहते आए हैं, तो यूडीएवाई बांडों को अनिवार्य रूप से परिवर्तित किया जाएगा। इसलिए?

एम.के.गोयल: उस अनिवार्यता के लिए हमने अपनी आकस्मिक योजना पहले ही तैयार कर ली है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है और हम यह उम्मीद नहीं करते हैं कि इसका कोई अप्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम इसकी भरपाई अतिरिक्त अवसरों और अन्य निधि व्यवस्था के जरिए करेंगे।

नीलांग मेहता: इस प्रकार क्या आप इस वर्ष के लिए अपने अनुमान को ध्यान में रखते हुए निबल ब्याज मार्जिन पर कुछ मार्गदर्शन करेंगे कि किस सीमा तक इनका परिवर्तन किया जा सकता है और आप कैसे ....

आर. नागराजन : जी नहीं, हम भविष्य के लिए मार्गदर्शन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं और हमने पहले भी कभी इस तरह से मार्गदर्शन नहीं दिया और इनकी संख्या कुछ भी रही हो, परंतु रही अवश्य है। इसलिए समय के साथ इसे तिमाही परिणामों में दर्शाया जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न मैक्वायर के श्री सुरेश गणपति की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

सुरेश गणपति: कुल 32,000 करोड़ रूपए की पुनगर्ठित संपत्तियों के संबंध में केवल एक स्पष्टीकरण; इसमें से निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी होगी और राज्य विद्युत बोर्डों की हिस्सेदारी कितनी होगी?

एम.के.गोयल: अनुमानत: राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 11,000 करोड़ रूपए और निजी क्षेत्र की 21,000 करोड़ रूपए है।

सुरेश गणपति: क्या 7,500 करोड़ रूपए की संपूर्ण एनपीए निजी क्षेत्र की है?

आर. नागराजन: निजी क्षेत्र, एक बात केवल यह है कि रत्नागिरी सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी है, जिसके पास लगभग 700 करोड़ रूपए की राशि बकाया है और सभी निजी क्षेत्र के पास है।

सुरेश गणपति: नहीं, जी नहीं। इस प्रकार क्या रत्नागिरी के 700 करोड़ रूपए 11,500 करोड़ रूपए के कुल भाग के रूप में है अथवा या यह किसी अन्य के भाग के रूप में है ...?

आर. नागराजन: नहीं- जी नहीं, यह 7,500 करोड़ रूपए की एनपीए का भाग है।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री एस के जैन की लाईन से है, जो एक व्यक्ति विशेष के रूप में निवेशक हैं। कृपया प्रश्न पूछें।

S.K. Jain: वर्तमान में पीएफसी की कुल एनपीए 7,500 करोड़ रूपए है। इस प्रकार यूडीएवाई के कार्यान्वयन के पश्चात क्या इसका किसी भी प्रकार पड़ेगा, क्या इस पुनर्गठन के पश्चात इसमें कोई गिरावट आएगी?

आर. नागराजन: यूडीएवाई योजना के मामले में आप यह जानना चाहते हैं कि क्या यूडीएवाई के कार्यान्वयन के बाद एनपीए के स्तर में कोई गिरावट आएगी। इस तथ्य के कारण जैसा हमारे सीएमडी ने पहले स्पष्ट किया है कि डिस्कॉम के व्यवहार्य हो जाने के पश्चात वे अपेक्षाकृत अधिक पीपीए की मांग करेंगे, इस प्रकार वे ऐसी स्थापित परियोजनाओं की सेवाएं लेने में सक्षम होंगे, जिनके साथ वे पीपीए करेंगे, परंतु हमारे मामले में कुछ एनपीए रत्नागिरी अथवा कोनासीमा जैसी परियोजनाओं की तरह की हैं, जिनके साथ गैस की समस्या है। कुछ अन्य मामलों में यह स्थिति स्थापित परियोजनाओं के साथ नहीं है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कब होगा अथवा एनपीए घटकर 1,000 तक आ जाएगी। हो सकता है कि समय के साथ एनपीए उस समय घट जाए जब परियोजनाओं की स्थापना पूरी हो जाए और वे पीपीए पर हस्ताक्षर कर लें।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न सीएलएसए के प्रकाश शर्मा की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

प्रकाश शर्मा: मुझे केवल दो स्पष्टीकरण चाहिए; प्रथमत: मैं वह संख्या जानना चाहता हूं, जो इस यूडीएवाई बांड योजना के बारे में आपने बताई है, मैं

केवल उन संख्याओं का सत्यापन करना चाहता हूं जो आपने अपने 49,800 करोड़ रूपए के ऋणों के बारे में बताए हैं, क्या वे योजना के अंतर्गत शामिल हैं और क्या उनमें से 24,000 करोड़ रूपए के लिए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत हस्ताक्षर कर लिए गए हैं, क्या यह सही है, क्या उसमें से 4,500 करोड़ रूपए का पुनर्भुगतान नगद रूप में कर दिया गया है। क्या मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार खाताबही में बांडों की संख्या अलग है, जिसे ...?

आर. नागराजन: सबसे पहले, कृपया योजना के खंड #7.3 को समझें, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीएफसी, आरईसी कोई भी बांड नहीं लेंगे। इसलिए हम कोई बांड नहीं लेंगे। इसीलिए हमारी खाता बहियों में कोई भी बांड बकाया नहीं है।

प्रकाश शर्मा: पुनर्गठित ऋणों, विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र के पुनर्गठित ऋणों के संदर्भ में मैं कुछ जानकारी चाहता हूं, क्या ऐसी कोई एनपीए है, जो आपके द्वारा वर्गीकृत किए गए पुनर्गठित ऋणों के तरीकों के बीच ओवरलैप करती है और आप इसका समाधान ...?

आर. नागराजन: कोई ओवरलैपिंग नहीं।

प्रकाश शर्मा: निजी क्षेत्र की परियोजनाओं, जो अगले 12-24 महीनों के दौरान स्थापित की जाएंगी, के संदर्भ में आप आज क्या सोचते हैं, क्या वे स्थापना के पश्चात एनपीए के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, इस

प्रकार से क्या वे मौजूदा पीपीए और एफएसए के आधार पर ऋण अदा करने में सक्षम होंगी, क्या आप इस संबंध में कुछ गुणात्मक आकलन कर सकते हैं?

आर. नागराजन: हम भविष्य की इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

प्रकाश शर्मा: केवल परिसंपत्ति की गुणवत्ता के संबंध में, क्या आप 7500 करोड़ रूपए की एनपीएल के बारे में स्पष्टीकरण दे सकते हैं, क्षेत्रवार ब्यौरा कोयला और अन्य जलविद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ व्यापक विवरण, जो आप एनपीए बही पर साझा कर सकते हैं? क्या आप ऋणों के मूल्य के आधार पर राशि से अवगत करा सकते हैं?

आर. नागराजन: आप अभी अगला प्रश्न पूछें, हम इसका उत्तर बाद में देंगे।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न एचडीएफसी म्युचुअल फंड के आनंद राता की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

आनंद: मैं केवल इस सकल एनपीए के बारे में जानना चाहता हूं, इनका विस्तार इस तिमाही में हुआ है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या ये बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के एक्सपोजर हैं। इनके एनपीए में परिवर्तित होने का कोई कारण, क्या ऐसा है कि इनके पास पीपीए अथवा एफएसए उपलब्ध नहीं अथवा ब्रांड व्यवहार्य नहीं है, इसलिए ये एनपीए हो गई हैं?

आर. नागराजन: इनमें से एक खाता एनपीए के रूप में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि उनके समक्ष स्थानीय स्तर पर पारेषण लाईनों को लेकर कुछ समस्याएं हैं और परियोजनाओं के लिए मूल डीसीसीओ से चार वर्ष का समय पूरा हो गया है। इसलिए बैंक बढ़ी हुई लागत का वित्तपोषण करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए उनका खाता एनपीए के रूप में परिवर्तित हो गया है। उन्हें एक यूनिट के लिए पीपीए मिल गया है, इसीलिए खाता एनपीए बन गया है। हो सकता है कि इनकी स्थापना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बताए अनुसार वर्ष 2016-17 में हो जाए। अन्य खाता एक जलविद्युत परियोजना का है, जो तकनीकी रूप से एक एनपीए है, बैंकों ने अपनी धनराशि ले ली है। जैसे कि रत्नागिरी पावर के मामले में हुआ है। नौ बैंक खाते निष्पादन परिसंपत्तियां हैं, पीएफसी खाता एनपीए है, क्योंकि हमारी देय राशियों का भुगतान उनके द्वारा पीआरए से नहीं किया गया। बैंकों की राशि जनवरी से देय है और हमारी अक्टूबर से, जिसका भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार यह तकनीकी रूप से एनपीए है, वास्तविक रूप से यह एक निष्पादन परिसंपत्ति रही है, जैसा कि हमारी खाताबही में दर्शाया गया है। तीसरा खाता ऐसी परियोजना का है, जो दुर्गम राज्य में स्थित है। इस प्रकार वहां कार्यान्वयन को लेकर कुछ स्थानीय समस्याएं हैं। इसी कारण उसका कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है और वे हमारी देय राशियों का पुनर्भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और खाता एनपीए हो गया है।

आनंद: तीसरा प्रश्न जो कार्यान्वयन के बारे में है, उसके कार्यान्वयन के मामले में ब्याज लागत को पूंजीकृत किया जाएगा, वास्तविक रूप से ब्याज का कोई भुगतान नहीं किया गया है, वहां नगदी प्रवाह क्या है?

एम.के.गोयल**:** हमारे मामले में हम भी उनसे भुगतान के लिए अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि यदि कार्यान्वयन शुरू नहीं होता है, यदि हम आईडीसी को ऋण मुहैया कराते रहते हैं, तो दस वर्ष बाद हमारे पास केवल परियोजना लागत ही होगी । मूर्त रूप से कोई परियोजना साकार नहीं हो पाएगी। इसलिए हम देय राशियों के भुगतान पर जोर देते आ रहे हैं, उन्होंने भुगतान नहीं किया है, अन्यथा हम ब्याज के लिए ऋण मुहैया करा रहे होंगे। 5 वर्ष के पश्चात हमारे पास केवल 500 करोड़ रूपए की राशि होगी, कोई परियोजना नहीं ...

एम.के.गोयल**:** संपूर्ण संवितरण आईडीसी के विरूद्ध है, इसका कोई अन्य प्रयोजन नहीं है।

आनंद: आपने केवल यह संकेत दिया है कि यूडीएवाई योजना के साथ राज्य विद्युत बोर्डों के वित्तीय निष्पादन में सुधार होगा, ऐसा आपका मानना है। क्या एसईबी के लिए कोई ऐसा मामला सामने आया है, जब संभवत: वित्तीय सुधार के रूप में बांड जारी किए गए हों, वे हमारे पीएफसी में आ सकते हैं और मौजूदा ऋण के लिए ब्याज दर घटाने के लिए भी संभवत: अनुरोध कर सकते हैं, जो उत्पादन क्षेत्र के लिए भी लागू हैं।

एम.के.गोयल: ब्याज दर प्राथमिक रूप से बाजार की दरों के आधार पर निर्धारित की जाती है और इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि बाजार से ऋण कैसे प्राप्त हो रहा है। यह ऋण प्रदाता संस्थानों द्वारा जुटाई जाने वाली निधियों की लागत पर भी निर्भर करती है। इसलिए प्राथमिक रूप से यह उन पर निर्भर करती है और फिर तदनुसार हम इसे देखेंगे, निश्चित ही उनकी रेटिंग में सुधार होता है, इसलिए हम उन्हें आकर्षक ब्याज दर का प्रस्ताव दे सकते हैं, यह कोई समस्या नहीं है कि ऐसा निश्चित ही होगा, परंतु उस मामले में पुनर्भुगतान के साथ-साथ परिसंपत्ति की गुणवत्ता के लिए जमानतदार का प्रावधान अवश्य किया जाएगा।

आनंद: अगले वर्ष किस प्रकार के ऋणों का पुनर्मूल्यन किया जा सकता है, जिनमें ...?

आर. नागराजन: मैं केवल श्री प्रकाश शर्मा के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, जो एनपीए की संख्या से संबंधित है; जलविद्युत क्षेत्र में 2698 करोड़ रूपए के चार ऋण, गैस आधारित पावर प्लांटों के 1335 करोड़ रूपए के दो ऋण, बायोमास के 59 करोड़ रूपए के तीन ऋण और थर्मल के 3428 करोड़ रूपए के पांच ऋण हैं।

आनंद: अगले वर्ष हमें पुनर्मूल्यन के लिए किस प्रकार के ऋण प्राप्त होने वाले हैं?

आर. नागराजन: अगले वर्ष पुनर्मूल्यन की कुल राशि 55025 करोड़ रूपए है।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न जेपी मोरगन के सौरभ चुग की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

सौरभ चुग: मेरे तीन प्रश्न हैं: एक प्रश्न ऋण स्वीकृति स्लाइड #17 से संबंधित है। इस प्रकार आप संधिकालिक वित्तपोषण ऋण देते हैं, जिससे राजस्व अंतराल निधियन होता है, आपने तमिलनाडु उत्पादन क्षेत्र में 3,000 करोड़ रूपए का राजस्व अंतराल निधियन किया है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस एसईबी के पास राजस्व अंतराल मौजूद है। आपके पास इसके विरूद्ध किस प्रकार की सुरक्षा/जमानत उपलब्ध है?

एम.के.गोयल: राज्य सरकार की गारंटी।

सौरभ चुग: क्या इस पर ब्याज दर लगभग 12-12.5% होगी?

आर. नागराजन: लगभग 11.75-12%।

सौरभ चुग: दूसरा प्रश्न राज्य क्षेत्र में पुनर्गठन बही से संबंधित है, यह किससे संबंधित है, क्या उत्पादन परिसंपत्तियों की हिस्सेदारी के विरूद्ध अथवा …?

आर. नागराजन: उत्पादन परिसंपत्ति की स्थापना के पश्चात।

सौरभ चुग: इस प्रकार राज्य क्षेत्र में संपूर्ण पुनर्गठन अनिवार्य रूप से उत्पादन परिसंपत्तियों की स्थापना के पश्चात किया गया है, जिसमें से वे दो वर्ष

की अवधि पूरी कर लेने के पश्चात संभवत: उन्नत कर दी जाएंगी, क्या इसलिए ...?

आर. नागराजन: जी हां।

सौरभ चुग: तो यह 10,000 करोड़ रूपए अनिवार्य रूप से ऐसा है, जिनकी डीसीसीओ की तारीख निकल गई है, वस्तुस्थिति यह है?

आर. नागराजन: डीसीसीओ के बाद।

सौरभ चुग: इस नवीकरणीय परियोजना, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ऑफसेट हो जाएगी। इससे मैं समझता हूं कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के रूझान बहुत ही छोटे ऋण के रूप में होंगे, वे 2,000-3,000 करोड़ रूपए के ऋणों के रूप में नहीं हो सकते हैं, जो आप सामान्यत: करते हैं। इसलिए लगभग 50,000 करोड़ रूपए के समतुल्य इस परिमाण के ऑफसेट के यूवीएवाई के अंतर्गत पुनर्मूल्यित हो जाने पर क्या आप यथार्थत: सोचते हैं कि यह नवीकरणीय क्षेत्र इस ऑफसेट को दूर करने के लिए एक अवसर बन सकता है।?

एम.के.गोयल: जी हां, जैसा मैंने आपको बताया है कि, योजना आयोग के दस्तावेजों के अनुसार अगले पांच वर्षों में 20 लाख करोड़ रूपए का निवेश होने की संभावना है, जिसमें से 8 लाख करोड़ रूपए केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में होने की संभावना है। निवेश का परिमाण यह है, जो नवीकरणीय क्षेत्र में होने वाला है और आप इस बात से वाकिफ होंगे

कि इस क्षेत्र पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। परियोजना के आकार के संबंध में आप ठीक हैं, परंतु आने वाली परियोजनाओं की संख्या बेहतर है और उनके पूरे होने की अवधि भी तुलनात्मक रूप से कम होती है। उनका कार्यान्वयन तेजी से होगा और त्वरित मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ हम इस बात को लेकर काफी आश्वस्त हैं कि हम इस क्षेत्र में बेहतर निष्पादन करेंगे।

सौरभ चुग: परंतु आपके जैसी बड़ी कंपनी के रूप में आप बड़े टिकट वाले ऋण देने की स्थिति में हैं...?

एम.के.गोयल: हमने इस क्षेत्र की और उस परिवेश, जिसमें हम कार्यरत हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से अपने आपको तैयार किया है, ऐसा नहीं है। जब परियोजना पूरा करने की लंबी अवधि वाली थर्मल परियोजनाएं हुआ करती थीं, तब हम उन्हें ऋण मुहैया कराते थे, परंतु हम इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, किंतु आज स्थिति अलग है, क्योंकि आजकल ऐसी परियोजनाएं नहीं हैं, जो आने वाली हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया है कि सभी 21 राज्यों के लिए पीएफए दस्तावेज पर हस्ताक्षर पहले ही किए जा चुके हैं जहां 8.5 लाख करोड़ रूपए का निवेश किए जाने की योजना है। इसलिए इस निवेश के कुछ भाग पर हम अवश्य कब्जा करने में सफल होंगे और इस निवेश से उत्पादन, पारेषण, वितरण क्षमताओं का निवेश किया जाना है, जो बड़े टिकट वाली परियोजना है।

सौरभ चुग: यूडीएवाई के अंतर्गत पुन: 50,000 करोड़ रूपए के ऋण हैं, इनका पुनर्मूल्यन हो जाने के पश्चात अंतिम 25% आपके तुलनपत्रों में बहुत ही कम यील्ड वाला लिखत होगा, इसलिए…?

एम.के.गोयल: अंतिम 25% के लिए दो विकल्प हैं- एक यह है कि या तो निम्न मूल्य, बैंक की आधार दर से 0.1% अधिक अथवा ये राज्य सरकार द्वारा गारंटित एसएलआर बांड हैं, जो डिस्कॉम द्वारा जारी किए जाने वाले हैं और एक बार ये बांड जारी कर देने पर डिस्कॉम को धनराशि मिल जाने से इस राशि का पुनर्भुगतान डिस्कॉमों द्वारा हमें किया जाएगा। जहां तक इन बांडों को सब्सक्राइब करने का संबंध है, पीएफसी और आरईसी से अपेक्षा है कि वे इन बांडों को सब्सक्राइब करें अथवा आधार दर और 0.1% पर अपने ऋणों का पुनर्मूल्यन न करें।

सौरभ चुग: इस प्रकार इन राज्यों द्वारा आपको ये बांड जारी किए जाने के बाद आखिरी 25% का क्या होगा …?

एम.के.गोयल: राज्य नहीं, डिस्कॉम बांड जारी करेंगे, जिनके लिए राज्य सरकार की विधिवत गारंटी उपलब्ध होगी और इसके विरूद्व जब इन डिस्कॉम को धनराशि प्राप्त होगी, तो वे हमें इसका पुनर्भुगान करेंगे।

सौरभ चुग: इस प्रकार अंतिम 25% आपके पास होगा या नहीं, क्या यह भी आपके खाते में चला जाएगा …?

एम.के.गोयल: हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। संपूर्ण बकाया ऋण का समाशोधन कर दिया जाएगा।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न स्टर्लिंग कैपिटल के राजीव अग्रवाल की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

राजीव अग्रवाल: मैं यह जानना चाहता हूं कि नवीकरणीय क्षेत्र में ऋण आकार क्या है?

एम.के.गोयल: हमने 2250 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पहले ही वित्तीय सहायता दी है और हमारे पास 1500 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के व्यापारिक प्रस्ताव उपलब्ध है।

राजीव अग्रवाल: इसकी मात्रा कितनी होगी?

एम.के.गोयल: 5,000 करोड़ रूपए का संवितरण पहले ही किया जा चुका है और 7,500 करोड़ रूपए की स्वीकृतियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पहले ही की जा चुकी है और लगभग 1500 मेगावाट क्षमता के व्यापारिक प्रस्तावों का आशय यह है कि इसमें लगभग 5,000 करोड़ रूपए की राशि शामिल होगी, जो भविष्य में स्वीकृत की जाएगी, क्योंकि इसके व्यापारिक प्रस्ताव हमारे पास पहले से मौजूद हैं।

राजीव अग्रवाल: आने वाले वर्ष में हम संवितरण के क्षेत्र में कितनी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं?

आर. नागराजन: सामान्यत:, वास्तविक रूप से हम संवितरण परियोजना की बात करते हैं, कयोंकि हमें भारत सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने होते हैं, वह एमओयू अभी तक हस्ताक्षरित नहीं किया गया, इसलिए इस पर हस्ताक्षर 30 जून तक किए जाएंगे, केवल तभी हम आपको चालू वर्ष , पिछले वर्ष की संख्या बता पाएंगे। वैसे भी हम यह संख्या 31 मार्च के पहले ही बताते रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार के साथ इस एमओयू पर प्राय: 31 मार्च तक ही हस्ताक्षर हो पाते हैं। हमने अभी तक एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए हम संवितरण की संख्या तब तक नहीं बता पाएंगे, जब तक कि भारत सरकार के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं।

एम.के.गोयल: इसके अलावा हमारे पास 1.37 लाख करोड़ रूपए की ऋण स्वीकृतियां बकाया हैं। इस प्रकार हमारी व्यापारिक पाइपलाईन सुदृढ़ हैं और पहले से स्वीकृत परियोजनाएं भी हैं, जिनके विरूद्ध हम इसे संवितरण के रूप में सुरक्षात्मक ढंग से परिवर्तित कर सकते हैं।

राजीव अग्रवाल: पुनर्गठित बही के संबंध में आपने कहा है कि कुछ परियोजनाओं की स्थापना अगले दो वर्षों में की जाएगी, इसलिए क्या इस संबंध में प्रावधान अगले दो वर्षों में प्रत्यावर्तित किए जाएंगे?

आर. नागराजन: शर्त में दो वर्ष की अवधि या स्थापना की अवधि, जो भी पहले हो, को शामिल किया जाए।

एम.के.गोयल: इसके पश्चात प्रावधान प्रत्यावर्तित किए जाएंगे।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न एलआईसी नोम्यूरा के रामनाथ वेंकटेश्वरन की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

आर वेंकटेश्वरन: मेरी ओर से दो-तीन प्रश्न हैं: एक प्रश्न इस तथ्य से संबंधित है कि विद्युत क्षेत्र में अत्यधिक दबाब है, और ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को कुछ ऐसी परियोजनाओं, जो व्यवहार्य नहीं हैं, से बाहर आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्या इसे किसी ऐसे विकासकर्ता, जिसकी स्थिति अच्छी है, को बचा जा सकता है, इस दिशा में आगे आने वाली कंपनियां और ...?

आर. नागराजन: आज की स्थिति के अनुसार, कोई नहीं।

एम.के.गोयल: विकासकर्ताओं को अपने व्यापारिक निर्णय स्वयं लेने होते हैं।

आर वेंकटेश्वरन: परंतु आप एक महत्वपूर्ण पणधारक हैं। फिर भी क्या आप इस दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं?

एम.के.गोयल: कुछ दबाबग्रस्त परियोजनाओं में राज्य सरकार की भागीदारी को शामिल किया जा सकता है, ताकि इन परियोजनाओं की क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सके । इस प्रकार से पुन: यह उन राज्य सरकारों और विकासकर्ताओं की स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। यह विकासकर्ताओं और ऐसे नए निकाय, जो इनका अधिग्रहण करेंगे, के बीच का द्विपक्षीय मामला है।

आर वेंकटेश्वरन: चूंकि आप इस क्षेत्र की कमियों और उन स्थानों के बारे में भली-भांति वाकिफ हैं, अत: क्या आप इस दिशा में बेहतर काम ....कर सकते हैं ...?

एम.के.गोयल: यह तो ठीक है, परंतु व्यापारिक निर्णय तो उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। इसलिए वे सभी अच्छे बुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं और जब वे हमारे पास आते हैं, तो हम उनके प्रस्ताव का मूलयांकन करते हैं और तदनुसार निर्णय लेते हैं।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न रिलायंस निप्पोन के अखिलेश गुप्ता की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

अखिलेश गुप्ता: मैं इस वर्ष के लिए बांड कार्यक्रम जारी करने हेतु तैयार की गई रूपरेखा (रोडमैप) के बारे में जानना चाहता हूं?

आर. नागराजन: यह एक सतत प्रक्रिया है और हम इसे इस वित्तीय वर्ष में पूरा करेंगे, हमने कुछ बांड पहले से ही जारी कर दिए हैं।

मॉडरेटर: धन्यवाद। अगला प्रश्न यूनिफि कैपिटल के शिवाकुमार की लाईन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

शिवा कुमार: महोदय, मैं केवल यह समझना चाहता हूं कि यूडीएवाई कार्यक्रम की योजना को कैसे अंजाम दिया जाएगा? आप कह रहे हैं कि पीएफसी अपने तुलनपत्र में बांड सीटिंग नहीं करेगा। इसलिए क्या आप यह कह रहे हैं कि बांडों को नगदी के रूप में परिवर्तित करने की जिम्मेदारी डिस्कॉम की होगी?

एम.के.गोयल: जी हां।

आर. नागराजन: कृपया खंड 7.3 देखें, इसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि जहां कहीं भी ऐसे बांड होंगे, उन्हें पेंशन फंड, अधिवर्षिता फंड और सभी लोगों को दिया जाएगा, यदि वे इन्हें प्राप्त कर लेने में सफल नहीं होते हैं, तो यह उन बांड को दिया जाएगा, जो डिस्कॉम के क्रेडिट एक्सपोजर के अनुपात के आधार पर डिस्कॉम क को एक्सपोज किए जा चुके हैं, इसलिए खंड 7.3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीएफसी और आरईसी किसी भी बांड का भुगतान नहीं करेंगे।

शिवा कुमार: यदि मैं स्लाइड #17 का संदर्भ देता हूं, तो उसमें पिछले वर्ष कुछ ऐसे डिस्कॉम की स्वीकृतियां दर्शाई गई हैं, जिन्होंने यूडीएवाई योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में कोई रूचि नहीं दर्शाई है। ऐसी स्थिति में क्या आप राज्य के डिस्कॉमों को गैर यूडीएवाई योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते रहेंगे, क्या ऐसी कोई इनहाउस नीति है, जिसके अंतर्गत आप केवल उन राज्यों को सहायता प्रदान करेंगे, जिन्होंने यूडीएवाई योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

एम.के.गोयल: यहां तक निधियन अथवा राजस्व अंतराल निधियन आदि का संबंध है, सितंबर 2015 के पश्चात बैंक और वित्तीय संस्थान (एफआईआई) हानि पर निधियन अथवा किसी हानि के लिए राजस्व अंतराल निधियन मार्च 2015 के बाद नहीं करेंगे, यह कार्य केवल राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। जहां तक केपेक्स निधियन का संबंध है, तो यह पीएफसी और आरईसी द्वारा किया जाएगा। यद्यपि ये प्रयास जारी हैं और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10 राज्यों ने पहले ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और 8 राज्यों ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है, इस प्रकार 29 राज्यों में से 18 के लिए यह कार्य कर लिया गया है और बकाया 11-12 राज्यों में प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही उनके यूडीएवाई योजना में शामिल होने की उम्मीद है। चूंकि यह एक ऐसी लाभकारी योजना है, इसिलए हमें उन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके पास कोई बकाया ऋण नहीं है। वे केवल प्रचालनात्मक मानदंडों के लिए ही यूडीएवाई में शामिल होना चाहते हैं। इस प्रकार से यह एक ऐसी आकर्षक योजना है, जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है, चूंकि यूडीएवाई योजना का शुभारंभ नवंबर 2015 में ही किया गया है, अत: 6-7 माह की अल्पावधि में ही इसमें 18 राज्य शामिल हो गए हैं और बकाया राजयों के भी अगले 6-7 माह में इसमें शामिल होने की उम्मीद है। परंतु जैसा मैंने आपको बताया है कि सितंबर 2015 के बाद हानि की भरपाई के लिए अथवा हानि पर आधारित निधियन नहीं किया जा सकता है और केपेक्स के निधियन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

शिवा कुमार: इसका आशय यह है कि यह सभी राज्यों के लिए लागू है, चाहे उसमें एमओयू पर हस्ताक्षर किए हों अथवा नहीं, क्या आपके अनुसार हानि पर निधियन और राजस्व अंतराल निधियन भी किया जा सकता है?

एम.के.गोयल: जी हां।

मॉडरेटर: धन्यवाद। हम अंतिम प्रश्न गुगेनहीम पार्टनर्स के श्री **पियूष शुक्ला की लाईन से लेंगे। प्रशन पूछें।**

पियुष शुक्ला : मैं वास्तविक रूप से इस तथ्य के बारे में स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि जैसा आपने कहा है कि आप यूडीएवाई योजना से प्राप्त होनेवाले 49,800 **करोड़ रूपए** की पूरी राशि नगद रूप में प्राप्त करेंगे, मैं केवल इस बारे में जानकारी चाहता हूं कि क्या आप इस धनराशि का इस्तेमाल डिस्कॉम की तुलना में अधिक व्यापारिक लाभ के लिए कर सकेंगे अथवा आपका यह विचार है कि आगे चलकर इसका निवेश तुलनात्मक रूप से कम लाभ वाले व्यापार के लिए किया जाएगा? मैं समझ सकता हूं कि आप अभी एकदम सही संख्या नहीं बता सकते हैं और न ही यह बता सकते हैं कि ब्याज दर क्या होगी, परंतु लाभप्रदता के बारे में कुछ जानकारी अवश्य दे सकते हैं।

एम.के.गोयल: इसका इस्तेमाल हमारे व्यापार विस्तार के लिए किया जाएगा, क्योंकि हम सारा कारोबार अपने निधियन के लिए कर रहे हैं और यह हमारे निधियन के एक स्रोत के रूप में कार्य करेगा और इसका नियोजन किसी भी परियोजना के लिए हमारे व्यापारिक लाभ और अवसर के लिए किया जाएगा।

पियुष शुक्ला : जी नहीं, मैं वास्तव में आपके कहे अनुसार इस बारे में स्पष्ट जानकारी चाह रहा था कि क्या आप नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य अवसरों में निवेश की योजना बना रहे हैं। इसलिए क्या आप यह सोचते हैं कि यह डिस्कॉम के व्यापार

की तुलना में थोड़ा अधिक लाभप्रद साबित होगा, अथवा आप इसे किस ढंग से लेते हैं ?

एम.के.गोयल: यह एक विशुद्ध व्यापारिक अवसर है और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी राज्य सरकार और निजी विकासकर्ताओं से प्राप्त होती हैं, इसलिए यह केवल व्यापारिक अवसर और व्यापारिक अनुमान मात्र है।

आर. नागराजन: आपको स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि हमारे पास जो भी धनराशि आज आ रही है, मैं इसकी योजना पहले से नहीं बना सकता हूं कि मैं कल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 1,000 करोड़ रूपए का निवेश करूंगा, कयोकि परियोजना की प्रगति के आधार पर धनराशि का संवितरण किया जाएगा, चाहे परियोजना उत्पादन क्षेत्र अथवा थर्मल अथवा जल विद्युत क्षेत्र की क्यों न हो। इसलिए जो भी धनराशि हमें प्राप्त होगी, उसका इस्तेमाल संवितरण के प्रयोजन से किया जाएगा, चाहे परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की हो, अथवा गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की। इस प्रकार से हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए अलग से निरंतर वृद्धि की बात नहीं करते हैं, इसी प्रकार जल विद्युत क्षेत्र के लिए 2,000 करोड़ रूपए का निवेश अलग से नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज जलविद्युत विकास के लिए भुगतान करने के प्रयोजन से दाबे किए जाते हैं और हम इस क्षेत्र में भुगतान करेंगे। इसलिए इस संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है, हम इस प्रयोजन अर्थात संवितरण के लिए धनराशि बचाकर रखते हैं।

मॉडरेटर: धन्यवाद। चूंकि यह अंतिम प्रश्न था, अत: अब मैं कांफ्रेंस के संचालन की कार्रवाई श्री आदित्य शर्मा को सौंपना चाहूंगा।

आदित्य शर्मा: हम इस कांफ्रेंस कॉल के आयोजन का हमें अवसर प्रदान करने के लिए प्रबंधन को धन्यवाद देते हैं और सभी प्रतिभागियों को इस पर लॉगिंग करने के लिए उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी को धन्यवाद। शुभ संध्या।

मॉडरेटर : **धन्यवाद।** आईआईएफएल कैपिटल लिमिटेड की ओर से हम इस कांफ्रेंस का समापन करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अब आप अपनी लाईनें डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।